उत्तराखण्ड शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें अनुभाग–1
संख्या–247/XIX-1/23–233/2009
देहरादून : दिनांक 12 जून, 2023

सार्वजनिक सूचना

उत्तराखण्ड़ विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2023 (प्रति संलग्न) को यथा प्रक्रिया अग्रेत्तर प्रख्यापित किये जाने से पूर्व प्रस्तावित नियमों के सम्बन्ध में, जिन व्यक्तियों का प्रभावित होना संभाव्य है, द्वारा सुझाव एवं आपत्तियां इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, 4, सुभाष रोड़, उत्तराखण्ड़ सचिवालय देहरादून, 248001 को प्रेषित किये जा सकते हैं।

(बृजेश कुमार संत)
सचिव।

संख्या–247/XIX-1/23–233/2009 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड़ शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण, उत्तराखण्ड़ शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड़ शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड़ शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड़ शासन।
6. नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड़, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख्य विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने तथा व्यापक संचरण वाले किन्ही दो समाचार पत्रों में भी सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड़।
9. अपर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लिथो प्रेस, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 25 प्रतियां खाद्य विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. मीडिया प्रभारी, सचिवालय/मीडिया सेन्टर, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड़।
12. गार्ड फाइल।

संलग्नक–यथोक्त

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव।

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें अनुभाग–1
संख्या–544 /XIX-1/23–233/2009
देहरादून : दिनांक 12 जून, 2023

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

और चूंकि विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 53(4) में राज्य सरकार को राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए गए नियमों की शर्तों के अधीन नियम बनाने की शक्ति निहित है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2023 की अनंतिम अधिसूचना को सर्वसाधारण के सूचनार्थ राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि उक्त अधिसूचना से प्रभावित होने वाले हितधारी एवं जनसाधारण इस अधिसूचना से सम्बन्धित कोई भी अभ्यावेदन एवं आपत्तियों को अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन के भीतर सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन, 4, सुभाष रोड़, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून, 248001 को प्रेषित कर सकेंगे।

राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अनंतिम अधिसूचना

उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2023 है।
2. यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची 11 का का संशोधन

3. उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2012 में अनुसूची–11 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात :–

अनुसूची–11
(नियम 27 देखिए)
विभिन्न अपराधों के लिए प्रशमन की धनराशि

क्र. सं.	अपराध की धारा और प्रकृति	शास्ति की धारा	प्रशमन की धनराशि	
			न्यूनतम धनराशि	अधिकतम धनराशि
1	धारा 8(3) बांट, माप या अंश के मानक से इतर बांट माप या अंश	25	रू 2,500.00	रू 25,000.00
2	धारा 8(4) बांट या माप का विनिर्माण मानक की पुष्टि नही	27	रू 2,000.00	रू 20,000.00

Scanned with CamScanner

3	धारा 10 माल इत्यादि के सम्बन्ध में संव्यवहार या व्यवहारी या संविदा द्वारा विहित बांट, माप या संख्या	28	रू 1,000.00	रू 10,000.00
4	धारा 11 मानक संख्या के बांट या माप या अंश के अनुसार मूल्य सूची या संशोधित मूल्य सूची का प्रदर्शन या घोषणा या अंकित किया जाना	29	रू 2,000.00	रू 10,000.00
5	धारा 12 किसी वस्तु की प्राप्ति की मांग या वस्तु की सेवा में संविदा या अनुबंध द्वारा विनिर्दिष्ट मात्रा का कम या अधिक होना	30	रू 2,000.00	रू 10,000.00
6	धारा 17 विनिर्माता व्यवहारी या मरम्मतकर्ता द्वारा अभिलेखों और पंजिकाओं का रखरखाव तथा बांट, माप अभिलेख, पंजिका की मांग पर प्रस्तुतिकरण	31	रू 500.00	रू 5,000.00
7	धारा 18(1) विनिर्माता/व्यवहारी द्वारा पूर्व से बंद के सम्बन्ध में घोषणा का अनुपालन	36(1)	रू 2,500.00	रू 25,000.00
8	धारा 18(1) विनिर्माता द्वारा पूर्व से बन्द वस्तु की निश्चित मात्रा के सम्बन्ध में अपेक्षित अनुपालन	36(2)	रू 10,000.00	रू 50,000.00
9	धारा 23 लाइसेंस के बिना केवल बांट या माप के विनिर्माता	45	रू 5,000.00	रू 20,000.00
10	धारा 23 लाईसेंस के बिना केवल बांट या माप की मरम्मत/बिक्री	46	रू 2,000.00	रू 5,000.00
11	धारा 24 सुरक्षा या संव्यवहार में असत्यापित बांट या माप का प्रयोग।	33	रू 2,000.00	रू 10,000.00
12	धारा 33 बांट या माप का सत्यापन किये बिना बिक्री	33	रू 2,000.00	रू 10,000.00
13	धारा 34 बिना मानक बांट या माप द्वारा वस्तुओं की बिक्री या पहुंच	34	रू 2,500.00	रू 5,000.00
14	धारा 35 बिना मानक बांट या माप द्वारा आकस्मिक सेवा	35	रू 2,500.00	रू 5,000.00
15	धारा 47 लाइसेंस के साथ छेड़छाड केवल बांट या माप के विनिर्माता	47	रू 5,000.00	रू 20,000.00
16	धारा 53(3) अधिनियम के अधीन बनाए गए कोई प्राविधान	53(3)	रू 5,00.00	रू 5,000.00

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव।

Scanned with CamScanner

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification No. / XIX-1/23-233/2009 dated- june, 2023 for general information.

Government of Uttarakhand
Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Section-1
No.544 /XIX-1/23-233/2009
Dehradun:Dated 12 june, 2023

NOTIFICATION

Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient to do so;

And Whereas, powers to make rules under the conditions of prepublication is vested in State Government under section 53(4) of the Legal Metrology Act, 2009;

The Governor directs that the stake holders and general public likely to be affected by this notification may, within 30 days of publication of this notification in official gazette forward any representation and objections related to this notification to Secretary Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department, Government of Uttarakhand, 4 Subhash Road, Uttarakhand Secretariat, Dehradun, 248001.

The Governor also directs that no representation after the said time period shall be accepted.

Provisional Notification

The Uttarakhand Legal Metrology (Enforcement) (Amendment) Rules, 2023

Short title and commencement

1 These Rules may be called The Uttarakhand Legal Metrology (Enforcement) (Amendment) Rules, 2023.

2 It shall come into force at once.

Amendment of Schedule-XI

3 In the Uttarakhand Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 the following schedule shall be substituted, namely:-

Schedule-XI
(See rule 27)
Compounding fees for various offences

S. N.	Section and nature of offence	Penal Section	Compounding Fee	
			Minimum	Maximum
1	S.8(3) Use of weight, measure or numeration other than the Standard weight, measure or numeration	25	Rs 2,500.00	Rs 25,000.00

Scanned with CamScanner

2	S.8(4) Manufacture of weight or measure not conforming to standards.	27	Rs 2,000.00	Rs 20,000.00
3	S.10 Transaction or dealing or contract in respect of goods etc, by weight, measure or number then prescribed.	28	Rs 1,000.00	Rs 10,000.00
4	S.11 Quote or make announcement or issue or exhibit of price list or changing of price than in accordance with standard unit of weight or measure or numeration.	29	Rs 2,000.00	Rs 10,000.00
5	S.12 Demanding or receiving any articles or thing on service in excess or less than the quantity specified by contract or agreement.	30	Rs 2,000.00	Rs 10,000.00
6	S.17 Maintenance of records, registers by manufacturer, dealer or repairer and production of weight, measure document, register on demand.	31	Rs 500.00	Rs 5,000.00
7	S.18(1) Compliance of declaration in respect of pre-packaged commodity by manufacturer/dealer.	36(1)	Rs 2,500.00	Rs 25,000.00
8	S.18(1) Compliance of net quantity requirement of pre-packaged commodity by manufacture.	36(2)	Rs 10,000.00	Rs 50,000.00
9	S.23 Manufacturer of weight or measure only without license.	45	Rs 5,000.00	Rs 20,000.00
10	S.23 Repair/sale of weight or measure only without license.	46	Rs 2,000.00	Rs 5,000.00
11	S.24 Use of unverified weight or measure in transaction or protection.	33	Rs 2,000.00	Rs 10,000.00
12	S.33 Sale of weight or measure without verification.	33	Rs 2,000.00	Rs 10,000.00
13	S.34 sale or delivery of commodities by Non Standards Weight or Measure.	34	Rs 2,500.00	Rs 5,000.00
14	S.35 Rendering service by Non Standards Weight or Measure.	35	Rs 2,500.00	Rs 5,000.00
15	S.47 Manufacturer of weight or measure only Tempering with License	47	Rs 5,000.00	Rs 20,000.00
16	S.53(3) Provision of any rule made under the Act.	53(3)	Rs 5,00.00	Rs 5,000.00

(Brijesh Kumar Sant)
SECRETARY

Scanned with CamScanner